अपनी सेवाओं से संबंधित शिकायतों को हम गंभीरता से लेते हैं

एएफएसए AFSA के साथ शिकायत कैसे दर्ज कराएं

सबसे पहले, एएफएसए के जिस कर्मचारी के साथ आप काम कर रहे/रही हैं उसीके साथ संपर्क करते हुए समस्या को सुलझाने के लिए हम आपको प्रोत्साहित करते हैं। यदि आपको इसमें असुविधा हो या उसके प्रत्युत्तर से आप असंतुष्ट हों तो आपको उस कर्मचारी के प्रबंधक से बात करनी चाहिए।

आप नीचे सुझाए गए किसी भी एक तरीके से एएफएसए के साथ अपनी शिकायत दर्ज करा सकते/सकती हैं।

फ़ोन–आप एएफएसए के राष्ट्रीय सेवा केंद्र को फ़ोन करके शिकायत कर सकते/सकती हैं। दिवालियापन संबंधी मामलों के लिए 1300 364 785 पर फ़ोन करें। व्यक्तिगत संपत्ति ज़मानत से संबंधित मामलों के लिए 1300 007 777 पर फ़ोन करें।

131 450 पर अनुवाद एवं दुभाषिया सेवा (टीआइएस नेशनल) को कॉल करके 160 से भी अधिक भाषाओं एवं बोलियों में दुभाषिया सेवाएं प्राप्त की जा सकती हैं। यदि आप अंग्रेज़ी नहीं बोलते/बोलती हैं, तो आपको अनुवाद एवं दुभाषिया सेवा टीआइएस को कॉल करके उनसे **एएफएसए** के राष्ट्रीय सेवा केंद्र से बात कराने के लिए कहना सबसे अधिक आसान लग सकता है।

डाक– आप अपनी शिकायत एएफएसए AFSA को GPO Box 2604, Adelaide SA 5001 पर डाक से भेज सकते/सकती हैं।

ऑनलाइन–आप अपनी शिकायत हमारी वेबसाइट www.afsa.gov.au पर 'हमसे संपर्क करें (contact us)' फॉर्म में भर कर हमें इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेज सकते/सकती हैं।

शिकायत प्राप्त होने के 14 दिन में हम शिकायतों को निपटाने की कोशिश करते हैं। कभी-कभी ऐसा संभव नहीं भी हो पाता। शिकायत के सम्बन्ध में हुई प्रगति की जानकारी आपको मिलती रहेगी।